International Journal of Sanskrit Research 2023; 9(5): 87-103

International Journal of Sanskrit Research

अनन्ता

ISSN: 2394-7519
IJSR 2023; 9(5): 87-103
© 2023 IJSR
www.anantaajournal.com
Received: 02-08-2023
Accepted: 12-09-2023

रेखा देवी शर्मा
सहआचार्य, संस्कृत महारानी श्री जया राजकीय महाविद्यालय, भरतपुर, राजस्थान, भारत

Corresponding Author:
रेखा देवी शर्मा
सहआचार्य, संस्कृत महारानी श्री जया राजकीय महाविद्यालय, भरतपुर, राजस्थान, भारत

राजस्थान के प्राचीन संस्कृत अभिलेखों का परिचय (12 वीं शताब्दी तक)

रेखा देवी शर्मा

सारांश
राजस्थान में अभिलेख उत्कीर्ण कराने की परंपरा पर्याप्त प्राचीन रही है । राजस्थान में ये अभिलेख सहस्रों की संख्या में उपलब्ध हुए हैं तथापि अभी भी अनेक अभिलेख भूगर्भ अथवा खण्डहरों मे दबे हो सकते हैं। ये अभिलेख बहुधा शिलाओं, प्रस्तर पट्टों, भवनों या गुहाओं की दीवारों, मन्दिरों स्तूपों, स्तम्भों, मठों, तालाबों, सरोवरों, बावडियों, कूपों तथा खेतों के मध्य स्थापित शिलाओं पर उत्कीर्ण मिलते हैं। कई अभिलेख बीच रास्ते में स्थित होने के कारण अथवा खुले वातावरण में होने से नष्ट भी हो गए हैं। राजस्थान में प्राचीनतम आभिलेखिक प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं ।यहां से प्राप्त कतिपय मुद्राओं पर जो लेख उत्कीर्ण हैं, उनके अक्षर हड़प्पा सभ्यता की लिपि के समान हैं । पुरालिपि शास्त्र की दृष्टि से इन लिपिबद्ध मुद्राओं का महत्व इस रूप में स्पष्ट है कि इनके आधार पर सेंधव लिपि की दिशा दाएं से बाएं निर्धारित की गई है ।[1] अजमेर के निकट बड़ली से प्राप्त अभिलेख को भी पर्याप्त प्राचीन (लगभग पूर्व मौर्य युगीन) माना जाता है ।[2] अशोक के ईसा पूर्व तृतीय शताब्दी के दो लेख बैराट से प्राप्त हुए हैं ।[3] इनसे उसकी बौद्ध धर्म में रुचि रखने तथा इसे राजकीय सहयोग देने की पुष्टि होती है । बड़ली तथा बैराट से प्राप्त उपरोक्त लेख प्राकृत भाषा में हैं । इनके बाद संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण ईसा पूर्व द्वितीय प्रथम शताब्दी का घोसुण्डी - नगरी (प्राचीन मध्यमिका) से प्राप्त लेख महत्वपूर्ण है ।

कूट शब्द: अभिलेख=पत्थर पर लिखा हुआ लेख, गुहा=गुफा, पूरालिपि=प्राचीन लिपि

प्रस्तावना
[4]इसके बाद राजस्थान के विभिन्न अंचलों से सस्कृत अभिलेखों की एक लंबी श्रृंखला प्राप्त होती है । कतिपय मुख्य संस्कृत अभिलेखों का परिचय प्रस्तुत है-

1. घोसुण्डी (नगरी) अभिलेख

यह अभिलेख आधुनिक नगरी (प्राचीन मध्यमिका, जिला चित्तौड़गढ) से प्राप्त हुआ था। इस गांव के पूर्व की ओर एक किलोमीटर की दूरी पर हाथीबाड़ा नामक स्थान है। जहां पर पत्थर की दीवारों का एक घेरा (बाड़ा) बना हुआ है। इसकी दीवार पर एक ही अभिलेख को तीन पत्थरों पर उत्कीर्ण किया गया था। अभिलेख की तीनों प्रतियों को खण्डित अवस्था में हाथीबाड़ा एवं घोसुण्डी गांव से प्राप्त किया गया। इस कार्य में श्री बी. एन. चक्रवर्ती एवं कविराजा श्यामलदास ने महत्त्वपूर्ण सहयोग किया । भण्डारकर ने 1915-16 में इन तीनों प्रतियों का अवलोकन किया था । अब इस अभिलेख के खण्डित अंश उदयपुर संग्रहालय में देखे जा सकते हैं ।

घोसुण्डी (नगरी) अभिलेख संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि (प्रथम शती ई. पू.) में उत्कीर्ण है । इस अभिलेख में उल्लिखित गाजायन एवं सर्वतात शब्द के लिए विद्वानों में मतभेद हैं। श्री जोगेन्द्र घोष का विचार है कि 'सर्वतात' कण्व वंश का ब्राह्मण था । जोहान्सन उसे ग्रीक या आध्रवंशीय स्वीकार करते हैं । कुछ विद्वान् उसे यूनानी मानते हैं । इस मान्यता का आधार मध्यमिका पर यूनानी आक्रमण का होना (पाणिनी द्वारा उल्लिखित) माना जाता है ।[5]

चित्तौड़ से 8 मील दूर स्थित नगरी की खुदाई से कृत संवत् 481 का एक लेख डॉ. डी.आर.भण्डारकर को मिला था जिसकी लिपि गुप्तकालीन ब्राह्मी तथा भाषा संस्कृत है। लेख घिस जाने से अस्पष्ट है । वर्तमान में यह अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित है।

2. नान्दसा यूप-लेख

कृत सं. 182 (225 ई.) का यह यूप लेख पं. गौरीशंकर हीराचन्द ओझा को भीलवाड़ा से 36 मील की दूरी पर नान्दसा ग्राम में मिला था। यह यूप-लेख एक तालाब में स्थित यूप-स्तम्भ पर दोनों ओर उत्कीर्ण हैं। प्रथम लेख में 6 पंक्तियां ऊपर से नीचे और 12 पंक्तियां उसके चारों ओर उत्कीर्ण हैं। जबकि द्वितीय अभिलेख में 18 पंक्तियां हैं। अन्तिम पंक्ति घिस जाने से अपठनीय है लेकिन दोनों अभिलेखों की सहायता से इस यूप-स्तम्भ लेख का विषय जाना जा सकता है। नान्दसा यूप-लेख संस्कृत गद्य और तीसरी शताब्दी ई. की ब्राह्मी लिपि में है।

नान्दसा यूप लेख धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है । इसमें 61 दिन चलने वाले 'एक पष्टिरात्रसत्र' का उल्लेख है। इस लेख में मालव जाति (निवास स्थल अजमेर, टोंक व मेवाड़) का नाम मिलता है। मालव नेता श्री सोम 'गणपति' था और वह इस पद को वंशानुगत रूप से सुशोभित कर रहा था । इस लेख में श्री (?) सोम की राजकीय उपाधि उल्लेख नहीं हुआ है।

3. बर्नाला यूप-लेख

कृत सम्वत् 284 (227 ई.)बर्नाला जयपुर जिला में लालसोट गंगापुर मार्ग पर 8 मील अन्दर की ओर स्थित है। यहाँ से दो यूप-लेख मिले, जिनकी जानकारी कानोता के ठाकुर श्री शिवनाथसिंह ने श्री दयाराम साहनी को दी थी। बर्नाला से प्राप्त यूप-लेखों पर क्रमशः कृत सम्वत् 284 और 335 अंकित है । दोनों यूप-लेख ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में हैं। इन्हें खड़ी पंक्तियों में उत्कीर्ण किया गया है। इसलिये उन्हें ऊपर से नीचे की ओर पढ़ना पड़ता है । अब ये यूप-लेख आमेर (जयपुर) संग्रहालय में सुरक्षित रखे गये हैं।

4. बड़वा पाषाण यूप-लेख

कृत सम्वत् 295 (238 ई.) बड़वा कोटा जिला की मांगरोल तहसील में स्थित है। यहाँ से पूर्व की ओर लगभग आधा मील दूर काम तोरण (थम्ब तोरण) नामक स्थल से चार यूप-स्तम्भ पाये गये हैं। इन यूप-स्तम्भों में से तीन सही और चतुर्थ घिसा हुआ लेख प्राप्त हुधा था। यूप-लेखों पर खड़ी अथवा आड़ी पंक्तियों में लेख उत्कीर्ण हैं । इनकी भाषा प्राकृत प्रभावित संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है । बड़वा के

यूप-लेख मौखरी सेनापति बल के पुत्रों द्वारा त्रिरात्रयज्ञ करने और उनके द्वारा 1000 गायें दान देने की सूचना प्रदान करते हैं।

सेनापति बल मालवा के शक क्षत्रप विजयदामा का सामन्त और मण्डलिक रहा होगा। इन यूप-लेखों का भारतीय इतिहास में विशेष महत्त्व है, क्योंकि इनसे मोखरियों के राजस्थान में निवास और उनके धार्मिक विश्वासों का परिचय मिलता है।

5. बिचपुरिया का यूप-लेख

कृत सम्वत् 321 (264 ई.)उनियारा (टोंक जिला) के बिचपुरिया के मन्दिर से यह लेख प्राप्त हुआ । लेख 10 फुट 6 इंच ऊंचा है। जिस क्षेत्र से यह यूप-लेख मिला वह प्राचीन मालव क्षेत्र के अन्तर्गत आता था। विवेच्य लेख प्राकृत प्रभावित संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है ।

6. बर्नाला यूप-लेख

कृत सम्वत् 335 (278 ई.)इस यूप-लेख को दयाराम साहनी ने बर्नाला (जिला जयपुर) से प्राप्त किया (जहाँ से पहले भी एक यूप-लेख मिला था)। यह लेख दो खड़ी पंक्तियों में उत्कीर्ण है । इसकी भाषा अशुद्ध प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी हैं। यह आमेर संग्रहालय में उपलब्ध है।यह प्राचीन यूप-लेखों में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। इसमें भगवान विष्णु की वन्दना और यज्ञ कर्ता द्वारा 90 गायें दान देने का विवरण हैं । विवेच्य लेख वैदिक और वैष्णव धर्म के समन्वय का (विष्णु की प्रसन्नता हेतु गर्गत्रिरात्र सत्र) प्रतीक है ।

7. भट्टि सोम सोगी का नान्दसा यूप-लेख :(तिथि विहीन, लगभग तीसरी शती ई.) नान्दसा उदयपुर जिला के सराड़ा तहसील में स्थित है । यहाँ से श्री (?) सोम का यूप-स्तम्भ लेख मिला था। वहाँ से करीब 2 फलॉग दूर भट्टि सोम सोगी का यूप-लेख प्राप्त हुआ। यह लेख तिथि विहीन, संस्कृत भाषा चौर ब्राह्मी लिपि में है। इसकी संस्कृत भाषा प्राकृत से पूर्णतया प्रभावित है ।

8. विजयगढ़ का यौधेय अभिलेख

लगभग 300 ई. का यह अभिलेख भरतपुर जिला के बयाना कस्बे से दो मील दक्षिण- पश्चिम में स्थित विजयगढ दुर्ग की दीवार पर उत्कीर्ण किया हुआ था । इस अभिलेख की केवल दो पंक्तियां ही उपलब्ध हैं जिससे यौधेय गण के प्रमुख की उपाधि का ज्ञान प्राप्त होता है । अभिलेख संस्कृत भाषा श्रौर ब्राह्मी लिपि में है । इसे तृतीय शती ई. में रखा जा सकता है ।

9. विजयगढ़-स्तम्भलेख

(मालव-विक्रम सम्वत् 428 = ई. सन् 371)

यह स्तम्भ लेख भरतपुर के निकट बयाना तहसील में स्थित विजयगढ़ दुर्ग की दक्षिणी दीवार के निकट प्रस्तर स्तम्भ पर उत्कीर्ण है। इस स्तम्भ लेख की भाषा संस्कृत (पूर्णतया गद्य) है और इसके अक्षर उत्तरी प्रकार की वर्णमाला से सम्बद्ध । लेख का नायक वरिक विष्णुवर्धन सम्भवतः प्रारम्भिक गुप्त शासक समुद्रगुप्त का सामन्त था।[6]

10. विश्ववर्मा का गंगधार शिलालेख

झालावाड़ जिला के गंगधार स्थान पर वि. सं. 480 का यह लेख मिला है। जिसकी भाषा संस्कृत तथा लिपि बाह्मी है । इस लेख से ज्ञात होता है कि विश्ववर्मा के मंत्री मयूराक्षक ने यहां एक विष्णु मंदिर बनवाया था। उसने तांत्रिक शैली का मातृगृह और एक कुआ भी बनवाया था।

11. चारचौमा शिव मन्दिर अभिलेख :लगभग वि. सं. 557 का अभिलेख ग्राम चारचोमा कोटा से 15 मील की दूरी पर स्थित है। वहां के शिव मन्दिर के बाहर तथा अन्दर की ओर दो अभिलेख उत्कीर्ण हैं । अभिलेखों की लिपि गुप्तकालीन तथा भाषा संस्कृत है। प्रथम अभिलेख में मौलसिरी एवं

औषधियों का एवं द्वितीय में शिव मन्दिर का उल्लेख है । साहित्यिक दृष्टि से दोनों शिलाभिलेख महत्त्वपूर्ण हैं। [7]

12. सामोली अभिलेख

वि. सं. 703 का यह लेख सामोली ग्राम मेवाड़ के दक्षिण में स्थित भोमट तहसील के अन्तर्गत आता है। सामोली में किसी गरासिया के मकान की नींव खोदते समय यह अभिलेख मिला था जिसे श्री गौरीशंकर हीराचन्द ओझा ने खरीदकर अजमेर संग्रहालय को भेंट किया। इस लेख की सूचना सर्व प्रथम डी. आर. भण्डारकर ने प्रकाशित की। तत्पश्चात् पं. रामकरण आसोपा एवं श्री आर. आर. हलदर ने इस पर टिप्पणियां प्रकाशित की । [8] इसमें कुल 12 पंक्तियां हैं। दस से बारह तक की पंक्तियों के कुछ अक्षर टूट गये हैं। अभिलेख कुटिल लिपि और संस्कृत भाषा में हैं। गुहिलवंश का इसमें प्राचीनतम उल्लेख है। मेवाड़ के जनजीवन की जानकारी का स्रोत होने के कारण इस अभिलेख का महत्त्व और अधिक बढ गया है।

13. कुण्डेश्वर मंदिर का शिलालेख

वि. स. 718 का उदयपुर जिला के गांव नागदा में कुण्डेश्वर मंदिर में यह शिलालेख मिला था जो अब उदयपुर के राजकीय संग्रहालय में है। इस लेख में श्लोक- बद्ध 12 पंक्तियां है इसकी भाषा संस्कृत है तथा सुस्पष्ट कुटिल लिपि में अंकित है । इस लेख से ज्ञात होता है कि गुहिल नरेश अपराजित ने वराहसिंह को परास्त कर उसे अपने अधीन किया था तथा बाद में उसे अपना सेनापति बनाया। उसकी धर्मपत्नी ने यह विष्णु मंदिर बनवाकर वि. सं. 718 की मार्गशीर्ष सुदि 5. (मंगलवार, 2 नवम्बर सन् 661) को प्रतिष्ठा करवाई ।

14. मण्डोर बावड़ी का लेख

वि. सं. 742 का यह लेख जोधपुर नगर से 6 मील दूर स्थित मण्डोर रेलवे स्टेशन के ठीक सामने पहाड़ी के नीचे चट्टान काटकर एक बावड़ी (वापी) बनवाई गई है। इस बावड़ी का आकार अंग्रेजी के 'L' अक्षर जैसा है। बावड़ी के अन्दर पानी से 3-4 फुट की ऊँचाई पर उत्तर की ओर दीवार पर 9 पंक्तियों का कुटिल लिपि में एक लेख उत्कीर्ण है जो राजस्थान के धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालता है ।

15. झालरापाटन का शिव मन्दिर अभिलेख

सम्वत् 746 का यह अमिलेख कोटा के निकट चन्द्रभागा नदी के किनारे पर स्थित झालरापाटन के शीतलेश्वर महादेव मन्दिर से मिला था। वर्तमान में यह अभिलेख झालावाड़ संग्रहालय में सुरक्षित है। शीतलेश्वर शिव मन्दिर के जीर्ण- शीर्ण अवस्था में आज भी दर्शन किये जा सकते हैं ।

16. चित्तौड़ के मान मौरी का शिलालेख

वि. सं. 770 का यह शिलालेख चित्तौड़ के पास मानसरोवर तालाब के किनारे एक स्तम्भ पर ख़ुदा हुआ था । कर्नल टॉड यह शिलालेख अपने साथ इंग्लैण्ड ले जा रहा था। समुद्री रास्ते से इंग्लैण्ड जाते समय भयंकर तूफान आने के कारण टॉड को, जहाज का भार हल्का करने के लिए, वह शिलालेख समुद्र में फेंक देना पड़ा। अतः अब मूल शिलालेख उपलब्ध नहीं है। कर्नल टॉड ने उसका अर्थ अपनी पुस्तक 'एनाल्स एण्ड एण्टीक्विटीज ऑफ राजस्थान ' में दिया था ।[9] इसी का हिन्दी अनुवाद कविराज श्यामलदास ने वीर विनोद में दिया था।

इस शिलालेख से ज्ञात होता है कि मानमौरी का चित्तौड़ पर राज्य था। मानमौरी के पिता भोज, पितामह भीम व प्रपितामह महेश्वर थे। महेश्वर शत्रु हंता तथा सम्पन्न शासक था। मान सद्गुण सम्पन्न, ईमानदार, सच्चरित्र और समृद्ध नरेश था। उसने वसन्तपुर आदि प्रान्तों को जीता था। उसके सामन्त भी बड़े योग्य तथा चतुर थे। मान ने ही अपनी सम्पत्ति का सदुपयोग करते हुए मान सरोवर बनवाया था । इस शिलालेख से राजाओं द्वारा प्रचलित करों की भी जानकारी मिलती है ।

17. शेरगढ का कोशवर्द्धन अभिलेख

वि. सं. 847 का कोटा से 80 मील दूर अट्रू तहसील में स्थित शेरगढ से यह अभिलेख प्राप्त हुआ है । इस अभिलेख से संकेतित है कि कोशवर्द्धन पर्वत पर नागवंश के देवदत्त (सामन्त) ने अपने राज्यकाल के सातवें वर्ष (वि. सं. 847) में एक मन्दिर एवं बौद्ध विहार का निर्माण करवाया। राजस्थान में बौद्धधर्म के विकास एवं प्रसार के अध्ययन की दृष्टि से यह अभिलेख अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

शिलालेख के अनुसार उस समय सामन्तों और राजाओं के सम्बन्ध मधुर थे। शत्रुओं की स्त्रियों की देखभाल करने की उचित व्यवस्था थी। इस प्रकार यह लेख ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा उपयोगी है।

18.खंडेला अभिलेख

हर्ष सम्वत् 201 का यह लेख सीकर से 45 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक खंडेला शहर से प्राप्त हुआ है। इसका प्राचीन नाम खंडिल्ला और रायसलवाडा भी है। प्राचीनकाल में खंडेला शैव धर्म का प्रमुख केन्द्र था। यहाँ से एक अभिलेख मिला है। जिसकी तिथि के सम्बन्ध में विवाद है । श्री डी. सी. सरकार और डॉ. दशरथ शर्मा ने इस अभिलेख को हर्ष संवत् 201 (807 ई.) का माना है। पं. गौरी शंकर हीराचन्द ओझा ने इस अभिलेख की तिथि वि. सं. 701 (644 ई.) निर्धारित की है। हमें श्री डी. सी. सरकार द्वारा प्रदत्त तिथि अधिक तर्क संगत प्रतीत होती है। डा. दशरथ शर्मा ने खंडेला अभिलेख के मूलपाठ को विश्वम्भरा में प्रकाशित किया था।

19. चाटसू अभिलेख :वि. सं. 870. का यह अभिलेख जयपुर से 25 मील दूर दक्षिण दिशा में स्थित चाटसू से मिला है। यह एक ऐतिहासिक स्थल है। श्री ए. सी. एल. कार्लाइल ने चाटसू अभिलेख की खोज की थी। यह अभिलेख चाटसू के गोलेराव तालाब की सीढियों पर लगा हुआ था। श्री कार्लाइल ने चाटसू लेख को भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया। यह अभिलेख कुटिल लिपि और संस्कृत भाषा में है। इसमें 27 पंक्तियाँ हैं और इसके वर्णाक्षर उत्तर भारतीय शैली के हैं। इस अभिलेख से चाटसू के गुहिल वंश और इस वंश के शासक बालादित्य के सम्बन्ध में जानकारी मिलती है।

20. बुचकला अभिलेख

वि. सं. 872 का यह अभिलेख जोधपुर जिले के बिलाड़ा क्षेत्र में स्थित बुचकला से मिला है। यहां के पार्वती मन्दिर के सभामण्डप में एक अभिलेख उत्कीर्ण था जिसकी खोज ब्रह्मभट्ट नानूराम ने की थी। यह अभिलेख कुटिल (उत्तर भारतीय लिपि) लिपि और संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। अभिलेख पूर्णतया गद्य में है और इसमें 20 पंक्तियां हैं। बुचकला अभिलेख वत्सराज के पुत्र नागभट्ट प्रतिहार कालीन है। प्रतिहारों की सामन्त प्रणाली और उनकी धर्मनिष्ठा की इस अभिलेख से जानकारी मिलती है। इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि परमेश्वर (शिव) के मन्दिर का निर्माण कराया गया और उसमें उनकी प्रतिमा स्थापित की गई।

21. बाउक का जोधपुर अभिलेख

वि. सं. 894 का यह अभिलेख जोधपुर की चारदीवारी (शहरपनाह या परकोटे) पर लगा हुआ था। इस अभिलेख को 1892 ई. में मुंशी देवीप्रसाद ने ढूंढा था। सम्भवतः यह अभिलेख प्रारम्भ में मारवाड़ की प्राचीन राजधानी मण्डोर के किसी विष्णु मन्दिर या कीर्ति स्तम्भ पर उत्कीर्ण था। यह अभिलेख प्राचीन संस्कृत भाषा और कुटिल लिपि में है [10] राजबली पाण्डेय ने इस अभिलेख की लिपि को उत्तर भारतीय ब्राह्मी वर्ग के अन्तर्गत रखा है[11]। इसमें कुल 31 श्लोक हैं । कहीं कहीं से यह अभिलेख खण्डित है । प्रतिहार वंश के राजनीतिक इतिहास का यह एक महत्त्वपूर्ण साक्ष्य है । अभिलेख से ज्ञात होता है कि ब्राह्मण हरिश्चन्द्र प्रतिहारों का पूर्वज था। इस वंश के राजा बाउक की उपलब्धियों का अभिलेख में पूर्ण विवरण मिलता है।

22.घटियाला-अभिलेख

घटियाला जोधपुर से 22 मील उत्तर-पश्चिम में शेरगढ़-जोधपुर मार्ग पर स्थित है। वहाँ माताजी की साल और खांखु देवल नामक दो स्थल पुरातत्त्व की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। घटियाला स्थित माताजी की साल (जो सम्भवतः प्राचीन जैन मन्दिर था) से 1892 में एक अभिलेख की खोज मुंशी देवीप्रसाद ने की थी जो एक देवी की मूर्ति के साथ उत्कीर्ण था। यह अभिलेख प्राकृत भाषा और उत्तर भारतीय लिपि (कुटिल) में श्लोकबद्ध (पद्य) है। अभिलेख को पं. गौरीशंकर हीराचन्द ओझा ने पढा था। इस अभिलेख का संस्कृत आशय वाला लेख भी घटियाला से प्राप्त हुआ है [12] इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि हरिश्चन्द्र नामक ब्राह्मण जिसे रोहिल्लद्धि भी कहते थे, वेद तथा शास्त्रों का ज्ञाता था । उसके दो स्त्रियाँ थीं– एक ब्राह्मण और दूसरी क्षत्रिय । ब्राह्मणी के पुत्र ब्राह्मण प्रतिहार और क्षत्राणी के पुत्र मद्यपान करने वाले (क्षत्रिय) प्रतिहार कहलाये । इस अभिलेख में हरिश्चन्द्र का समय नहीं दिया गया है । अभिलेख से मंडोर के प्रतिहार वंश की जानकारी मिलती है। इस राजवंश में हरिश्चन्द्र (ब्राह्मण) के पश्चात् उसके पुत्रों के राज्य करने की जानकारी मिलती है। कक्कुक के समय यह अभिलेख उत्कीर्ण किया गया। इस अभिलेख का 24 वां श्लोक अपठनीय है।[13] घटियाला से दो पाषाण स्तम्भ लेख और जीर्ण-शीर्ण अवस्था में कुछ स्मृति लेख भी प्राप्त हुए हैं । स्तम्भ के सिरे पर चारों ओर गणपति की मूर्ति बनी हुयी है। राजा कक्कुक के सम्बन्ध में चार लेख संस्कृत भाषा और उत्तर भारतीय लिपि में उत्कीर्ण हैं।

23. कामां (भरतपुर) अभिलेख[14]

लगभग 8वीं शताब्दी का संस्कृत शिलालेख कामां (भरतपुर) से मिला है । कामां या काम्यवन राजस्थान के भरतपुर जिले का एक उपखंड और तहसील मुख्यालय है। पंडित भगवानलाल इंद्र जी द्वारा संपादित शिलालेख विष्णु को समर्पित एक मंदिर के स्तंभ पर था। दूसरी ओर, वर्तमान अभिलेख काम्यकेश्वर नाम से शिव के एक मंदिर में स्थापित किया गया प्रतीत होता है, जो कि किले के बाहर उस कुएं से ज्यादा दूर नहीं था जहां पत्थर पाया गया था। इन मंदिरों को स्पष्ट रूप से पाशुपत संप्रदाय के शैव आचार्यों को सौंपा गया था, हालांकि उस समय का वास्तविक प्रबंधन इस उद्देश्य के लिए नियुक्त एक समिति द्वारा किया जाता था।

शिलालेख प्राचीन भारत में गिल्डों के कुछ लेन-देन पर दिलचस्प प्रकाश डालता है। जब कोई दानकर्ता किसी मंदिर के रख-रखाव या किसी देवता की पूजा के लिए सामग्री की आपूर्ति के लिए स्थायी प्रावधान करना चाहता है, तब आवश्यक राशि को या तो भूमि संपत्ति में निवेश किया जाएगा या इसे एक गिल्ड के पास जमा किया जाएगा। बाद के मामले में गिल्ड कभी-कभी अपने पास जमा की गई राशि पर एक निश्चित राशि या ब्याज की एक विशेष दर का भुगतान करने के लिए बाध्य होता था। हमारे शिलालेख से पता चलता है कि गिल्ड कभी-कभी अपने सामान्य कोष से भुगतान नहीं करता था, लेकिन उस विशेष इलाके में काम करने वाले अपने प्रत्येक सदस्य पर एक छोटा सा उपकर लगाता था। शिलालेख में ऐसे तीन संघों का उल्लेख हैं - कुम्हारों, कारीगरों और बागवानों का। हम पाते हैं कि अंतिम गिल्ड के सदस्यों को वस्तु के रूप में भुगतान करना पड़ता था, जबकि पहले दो के सदस्यों को शायद एक छोटा सा उपकर देना पड़ता था क्योंकि उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं की मंदिर के उपयोग के लिए नियमित रूप से आवश्यकता नहीं होती थी। हम फिर से देखते हैं कि श्रेणियों में उनके संबंधित व्यवसायों के सभी सदस्य शामिल थे; क्योंकि दो मामलों में हमारे शिलालेख में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि काम्यका में विशेष पेशे का पालन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक निश्चित राशि का योगदान करना था। हमें यह नहीं बताया

गया कि गिल्डों द्वारा प्राप्त निवेश का उपयोग कैसे किया गया। लेकिन यह अनुमान लगाना गलत नहीं होगा कि उन्हें कुछ धार्मिक या धर्मनिरपेक्ष कार्यों पर खर्च किया गया था, जैसे कि बृहस्पति द्वारा गिनाए गए, जिन्हें गिल्ड के सभी सदस्यों के लिए उपयोगी माना जाता था। जाहिर तौर पर गिल्डों के पास अपने सदस्यों पर लगाए गए उपकर के समय पर भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक मंजूरी थी। बृहस्पति-स्मृति से हमें पता चलता है कि वे उस सदस्य पर जुर्माना लगा सकते थे या यहां तक कि उसे निर्वासित भी कर सकते थे, जिसने समझौते में अपना हिस्सा देने से इनकार कर दिया था। अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र दोनों में श्रेणी-बल गिल्ड द्वारा रखी गई सेना का उल्लेख है, जिसका उपयोग राजा भी अपनी विजय के लिए नहीं करना चाहते थे। इसलिए गिल्डों पर अपने सदस्यों से निर्धारित राशि एकत्र करने और बंदोबस्ती के लाभार्थी को नियमित रूप से भुगतान करने का भरोसा किया जा सकता है।

अभिलेख में स्पष्टतः तिथि का अंकन नहीं है । पंडित इंद्र जी अक्षरों की बनावट के आधार पर लगभग 8 वीं शताब्दी का स्वीकार करते हैं।

कस्बे में 'चौरासी खंभा' के नाम से मशहूर मस्जिद है। इस मस्जिद के प्रांगण के भीतरी भाग में बने स्तंभों में से एक पर अन्य एक शिलालेख विद्यमान है, जिस पर कोई तारीख अंकित नहीं है। पूर्वी दीवार के अंदरूनी हिस्से पर, उभरी हुई गैलरी और प्रवेश द्वार की छत तक जाने वाली सीढ़ियों के करीब, एक स्तंभ पर उपर्युक्त संस्कृत शिलालेख खुदा हुआ है, जिसे दीवार में क्षैतिज रूप से बनाया गया है। स्तंभ 12 इंच मोटा है और शिलालेख में छोटे अक्षरों की 37 पंक्तियाँ हैं। इसकी तिथि 8वीं शताब्दी निर्धारित की गई है।

इसकी खोज कई साल पहले पंडित भगवान लाल इंद्रजी ने की थी, जिन्होंने पाठ की एक प्रतिलिपि और भारतीय पुरातन, खंड में इसकी सामग्री की एक संक्षिप्त सूचना दी है।[15] पंडित भगवान लाल के अनुसार "इसमें कोई तिथि नहीं है, लेकिन वर्णमाला 8वीं शताब्दी की या कुछ हद तक झालरापाटन शिलालेख की तिथि के बाद की प्रतीत होती है शिलालेख में सूरसेन वंश की वंशावली का अंकन है। साथ ही रानी वच्छिका के विष्णु मंदिर बनवाने का उल्लेख किया है।

24. बयाना (भरतपुर) चित्रलेखा का शिलालेख

इस शिलालेख की खोज दिवंगत सर अलेक्जेंडर कनिंघम के सहायकों में से एक कार्लाइल ने भरतपुर राज्य में स्थित बयाना नामक स्थान में की थी।' मध्यकाल में यह बहुत महत्व का स्थान था और कुछ समय के लिए शेरशाह 1 के पुत्र इस्लाम शाह ने इसे शाही राजधानी बनाया था। जब श्री कार्लाइल ने पहली बार इस शिलालेख को देखा, तो यह पत्थर के स्तंभों में से एक के नीचे पड़ा हुआ था। अब यह उखा मंदिर की दीवार पर लगा हुआ है। शिलालेख पीले बलुआ पत्थर के एक मोटे स्लैब पर खुदा हुआ है, जो उखा मंदिर और बयाना के लगभग सभी प्राचीन स्मारकों के निर्माण में इस्तेमाल किए गए लाल बलुआ पत्थर से काफी अलग है। शिलालेख का ऊपरी बायां कोना टूट गया है और दाहिनी ओर पूरे स्लैब के आठवें हिस्से पर लिखे अक्षर उखड़ गये हैं। इन दो हिस्सों को छोड़कर बाकी रिकॉर्ड सुरक्षित रूप से अच्छी स्थिति में है। स्लैब के दाहिनी ओर के उखड़ने से सभी रेखाएँ अधूरी हो जाती हैं और इसलिए उन्हें समझना मुश्किल हो जाता है, चित्रलेखा (955 ई.) के बयाना शिलालेख में श्रीपथ (बयाना) के मंडपिका में एक देवता के लिए तीन द्रम्म और वसावत (भुसावर) के मंडपिका में इतनी ही राशि के संग्रह का उल्लेख है । ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों मंडपिकाएँ घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध थीं, क्योंकि स्थानीय रानी ने एक विष्णु मंदिर के पक्ष में दान दिया था। गोग्रापुर और नागपल्ली (नावली) ग्राम के साथ खेत दिए जाने का भी वर्णन है।

25. धौलपुर का अभिलेख

(वि.सं. 898 (841 ई.) चंडमहासेन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिलालेख धौलपुर नगर से मिला है, जो धौलपुर के चौहानों के इतिहास के लिए उपलब्ध एकमात्र स्रोत है। इसे हल्ट्ज़सेह द्वारा ZDMG, XI, pp. 38 ff में प्रकाशित किया गया था।

शिलालेख में कहा गया है कि चंडमहासेन ने वि. सं .898 में धवलपुरी (धौलपुर) में शासन किया था। वह ब्राह्मणों के प्रति बहुत उदार था, जिन्हें उसने विभिन्न तरीकों से पुरस्कृत किया। वह सूर्यदेव का भक्त था जिसके लिए उसने पास के जंगल में एक मंदिर बनवाया। चम्बल नदी के दोनों किनारों पर बसे मलेच्छों के राजाओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और मुखिया अनिरजिता ने नीची निगाहों से शहर में भ्रमण किया।

चंडमहासेन कन्नुजा के प्रतिहार शासक भोज प्रथम का सामंत प्रतीत होता है। उन्होंने एक सीढी युक्त कूप (वावड़ी) का निर्माण करवाया था । जो वर्षपर्यन्त जल से भरी रहती थी ।

26. बिजोलिया अभिलेख, 1226 वि. (1170 ई.)[16]

वर्तमान शिलालेख पार्श्वनाथ मंदिर के निकट एक शिला पर उत्कीर्ण है। यह संस्कृत भाषा और नागरी लिपि में है। इसमें 93 श्लोक हैं। अभिलेख की तिथि 1226, फाल्गुन कृष्ण 3 (5 फरवरी, 1170) है। इसे मंदिर के निर्माण के समय जैन श्रावक लोलक ने उत्कीर्ण कराया था। लेख में शाकंभरी चौहानों की वंशावली का विवरण अंकित है साथ ही उनकी उपलब्धियों का वर्णन भी मिलता है। शिलालेख में वासुदेव से पहले के चौहान शासकों के नाम निबद्ध हैं, जबकि हर्ष शिलालेख में गूवक से पूर्ववर्ती नाम अनुपलब्ध हैं। इसमें शासकों के विभिन्न उपहारों जैसे पर्वतदान, ग्रामदान और अन्य उपहारों का वर्णन किया गया है। हर्ष पत्थर के शिलालेख की तरह इसमें जाबलीपुर, श्रीमाल, मंडलकर आदि जैसे कई स्थानों के नामों का उल्लेख है। शिलालेख घाटेश्वर, कुमारेश्वर, जैसे पवित्र स्थानों के नाम प्रदान करता है।

संगमेश्वर, दक्षिणेश्वर, कपिलेश्वर, महाकाल, कोटिश्वर, सिद्धेश्वर आदि। यह भौगोलिक प्रभागों के नाम और प्रतिगण और भुक्ति जैसी प्रशासनिक इकाइयों के नाम भी देता है।

27. डबोक का शिलालेख

डबोक गांव उदयपुर से पूर्व में 12 मील की दूरी पर स्थित है। वहां जनता कॉलेज के बगीचे में गड्ढा खोदते समय वि.सं. 900 का यह लेख श्री भवानीशंकर गर्ग को मिला। यह शिलालेख नीले पत्थर के शिलाखण्ड पर उत्कीर्ण है। शिलालेख की भाषा संस्कृत एवं लिपि कुटिल है। इसमें 25 पंक्तियाँ हैं। विवेच्य शिलाभिलेख को पं. गौरीशंकर हीराचन्द ओझा ने विक्रम संवत् नवीं दसवीं का माना था। श्री कृष्णचन्द्र ने इसे संशोधित कर प्रकाशित किया है। वर्तमान में यह शिलालेख राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है । दुर्भाग्य से इस अभिलेख की कुछ पंक्तियां नष्ट हो गई है जिससे इसे पूरी तरह पढ़ने में कठिनाई होती है। यह अभिलेख किस राजवंश से सम्बन्धित है यह कहना कठिन है। इस अभिलेख में अर्च्चभट, कृष्णभट, कक्क, भट्ट गणेश्वर और भवगुप्त का नाम मिलता है।

28. भर्तृ पट्ट द्वितीय का आहड़ -अभिलेख

मेवाड़ के गुहिलवंशी नरेश खुम्माण (खोमाण) तृतीय का पुत्र भतृ पट्ट द्वितीय था । उसका एक अभिलेख उदयपुर के निकट स्थित आहड़ (आयड़ या आघाटपुर) से मिला था। इसे पं. गौरीशंकर हीराचन्द ओझा ने प्रकाशित किया17 ओझा जी ने इस अभिलेख की तिथि वि. सं. 1000 (943 ई.) ज्येष्ठ सुदि 5 दर्शायी थी। उन्होंने सूचना दी कि इस अभिलेख में भट्ट के समय आदिवराह नामक व्यक्ति द्वारा गंगोद्भेद (गंगोभेव) तीर्थ में आदिवराह देव का मन्दिर बनाये जाने का उल्लेख है। श्री

नाथूलाल व्यास के प्रयासों से यह अभिलेख उदयपुर के महाराणा भूपाल कॉलेज में सुरक्षित है । अभिलेख दोनों ओर से खण्डित है। इसमें 14 पंक्तियाँ (अपूर्ण) है तथा यह दसवीं शती ई. की ब्राह्मी लिपि में हैं । अभिलेख का प्रारम्भ विष्णु के स्वरूप आदिवराह की वन्दना से किया गया है। इसकी दसवीं पंक्ति में भर्तृनृप का नाम मिलता है। पं. गौरीशंकर हीराचन्द ओझा ने अभिलेख की तिथि 1000 स्वीकार की थी जिसे श्री रतनचन्द्र अग्रवाल स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि संवत् 1000 के ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मंगलवार और पुण्य नक्षत्र दोनों ही नहीं थे। यदि गणना की जाय तो इस अभिलेख की तिथि विक्रम संवत् 998 या 1001 होनी चाहिए। इन दोनों वर्षों में दिन एवं नक्षत्र का हिसाब ठीक तरह बैठ जाता है। इनमें से भी वि. सं. 1001 अधिक संगत प्रतीत होता है।[18]

29.प्रतापगढ़-अभिलेख

वि. सं. 1003. का यह अभिलेख प्रतापगढ़ में चैनाराम अग्रवाल के कुए पर लगा हुआ था । पं. गौरीशंकर हीराचन्द ओझा को जब इसकी सूचना मिली तो वे वहां पहुंचे और इसका पाठ सम्पादित कर प्रकाशित किया। बाद में ओझाजी ने प्रतापगढ़ महाराज कुमार से प्रार्थना कर यह अभिलेख अजमेर संग्रहालय को भेंट करवा दिया। इस अभिलेख में 35 पंक्तियां (एक लघु पंक्ति) हैं और दसवीं सदी के वर्णाक्षरों का इसमें प्रयोग किया गया है। अभिलेख संस्कृत भाषा (कई देशी शब्दों के प्रयोग सहित) और नागरी लिपि में है। अभिलेख का पाठ पद्य व गद्य दोनों में है। इसमें मन्दिर हेतु इन्द्रादित्यदेव की तरफ से माधव द्वारा दान देने का उल्लेख किया गया है। प्रतापगढ़ अभिलेख कुछ प्रचलित देशी शब्दों जैसे अरहट, कोशवाह (चमड़े के चरस से सींची जाने वाली भूमि), चौसर (फूलों की माला), पालिका (पूला), पली (तेल का माप), धारणा (घाणी) आदि का उल्लेख महत्वपूर्ण हैं। दसवीं शती ई. की धार्मिक स्थिति का अध्ययन करने हेतु यह अभिलेख एक प्रामाणिक साक्ष्य है।[19]

30. सारणेश्वर (सांडनाथ) प्रशस्ति

सारणेश्वर (साँडनाथ) का मन्दिर उदयपुर के श्मशान में स्थित है। इस शिवालय के पश्चिमी द्वार के छबने में एक शिलालेख लगभग 4.5 " x 6' के चौड़े भूरे रंग के प्रस्तर पर उत्कीर्ण है। जिसे सभा मण्डप के भीतरी भाग से पढ़ा जा सकता है। यह शिलालेख प्रारम्भ में उदयपुर के निकट आहड़ गाँव के वराहमन्दिर में लगा हुआ था किन्तु उस मन्दिर के नष्ट हो जाने पर बाद में इसे सारणेश्वर मन्दिर में लगा दिया गया। यह शिलालेख संस्कृत भाषा और नागरी लिपि में है। इस प्रशस्ति में मेवाड़ की शासन व्यवस्था का पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया गया है। अभिलेख में मेवाड़ के प्रमुख राज्य कर्मचारियों यथा अमात्य, सन्धि विग्रहक, अक्षपटलिक, बन्दिपति (मुख्य भाट) और मुख्य वैद्य का उल्लेख करते हुए वराहमन्दिर के गोष्ठिकों के नाम भी दिये गए हैं। प्रशस्तिकार ने गुहिलवंशीय राजा अल्लट, उसकी माता महालक्ष्मी और पुत्र नरवाहन का भी उल्लेख किया है। इस मन्दिर में वराह-प्रतिमा की स्थापना वि. सं. 1010 (953 ई.) वैशाख शुक्ला सप्तमी को दर्शायी गई है ।[20]

31.ओसियां का महावीर मन्दिर अभिलेख

राजस्थान के ऐतिहासिक नगर जोधपुर से 52 किलोमीटर दूर उत्तर- पश्चिम दिशा में जैन धर्म का प्रमुख केन्द्र ओसियां स्थित है। मन्दिरों की अधिकता के कारण ओसियां 'मन्दिरों का नगर' कहलाता है। अभिलेखों और साहित्यिक ग्रन्थों में ओसियां को उपकेशपट्टन, उपकेशपुर, उबशीशा आदि कहकर पुकारा गया है। डॉ. डी. आर. भण्डारकर के अनुसार किसी परमार राजा ने शत्रुओं का दबाव बढ़ जाने पर यहां आकर ओसला (शरण) लिया था, इसलिये इस नगर का नाम ओसियां पड़ा । जैन

ग्रन्थ उपकेश गच्छ- प्रबन्ध[21] के अनुसार सुरसुन्दर के पुत्र श्री पुञ्ज ने ओसियां नगर की स्थापना की थी। महावीर मन्दिर अभिलेख (सं. 1013) से ज्ञात होता है यहां पर वत्सराज प्रतिहार का शासन रहा था। कुछ विद्वानों का विचार है कि ओसियां ओसवाल जाति का भी मूल स्थान है। एक कथानक के अनुसार श्री रत्नप्रभसूरि ने ओसियां के निवासियों को ओसवाल (जैन धर्मावलम्बी) बनाया था। ओसियां में अनेक वैष्णव एवं जैन मन्दिर हैं। उनमें से सच्चियाय माता और महावीर मन्दिर अधिक प्राचीन है। महावीर मन्दिर से प्राप्त विक्रम संवत् 1013 के अभिलेख, जो संस्कृत भाषा और देवनागरी लिपि में है, से ज्ञात होता है कि प्रतिहार वंश की उत्पत्ति भगवान् राम के भ्राता लक्ष्मण (रघुवंश) से हुई थी ।

32. थांवला का अभिलेख

मेड़ता सिटी के पास थांबला ग्राम (पुष्कर के समीप) के शिवालय से यह अभिलेख प्राप्त हुधा था। चौहानों के इतिहास की दृष्टि से यह अभिलेख महत्त्वपूर्ण है। यह अभिलेख खण्डित है तथा इसमें 18 पक्तियां हैं। पं. विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने संस्कृत भाषा और नागरी लिपि के इस अभिलेख को प्रकाशित किया था ।[22] चौहान नरेश सिंहराज प्रथम के राज्यकाल का ज्ञात अभिलेख केवल यही है।

33.ऊनावास का अभिलेख

ऊनावास पूर्व मेवाड़ राज्य में स्थित है। यहां से प्राप्त एक अभिलेख को श्री रतनचन्द्र अग्रवाल ने वरदा में प्रकाशित किया था। बाद में डॉ. दशरथ शर्मा ने उसके मूलपाठ में कुछ परिवर्तन सुझाये थे ।[23] इस अभिलेख का कुछ अंश नष्ट हो गया है। लेकिन जो भाग शेष बचा है उससे मेवाड़ के शासकों की सामन्त प्रणाली तथा देवी के एक मन्दिर निर्माण की जानकारी मिलती है अभिलेख में कुछ स्थानीय शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। ऊनावास का अभिलेख संस्कृत मिश्रित देशज भाषा तथा नागरी लिपि में हैं।

34. दियाना के शान्तिनाथ मन्दिर का अभिलेख

सिरोही जिला में स्थित दियाना के शान्तिनाथ मन्दिर से वि.सं 1024 का यह अभिलेख प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में मन्दिर की व्यवस्था चलाने हेतु गोष्ठी गठित करने का उल्लेख है। गोष्ठी एक प्राचीन संस्था थी जिसमें नगर या ग्राम के प्रमुख व्यक्ति सदस्य होते थे। यह अभिलेख संस्कृत भाषा (शुद्ध) तथा नागरी लिपि में है।

35. नाथ प्रशस्ति-एकलिंगजी

एकलिंगजी का मन्दिर उदयपुर से 14 मील दूर उदयपुर-नाथद्वारा मार्ग पर स्थित है। प्राचीनकाल में यह मन्दिर धर्म धीर लकुलीश सम्प्रदाय का प्रमुख केन्द्र था। एकलिंगजी के मन्दिर के निकट स्थित लकुलीश मन्दिर (नाथों का मठ) में वि. सं. 1028 (971 ई.) का एक लेख उत्कीर्ण है, जिसे नाथ प्रशस्ति भी कहते हैं। नरवाहन के समय का यह एक महत्वपूर्ण शिलालेख है । मन्दिर पर बहने वाले बरसाती जल के कारण यह अभिलेख थोड़ा बहुत नष्ट हो गया है और इसमें दरारें भी आ गई हैं। इसमें 18 पंक्तियां हैं। यह संस्कृत भाषा (पद्य) और देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण है ।

नाथ प्रशस्ति से मेवाड़ के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। इसमें बापा गुहिल और नरवाहन आदि राजाओं का वर्णन मिलता है । प्रशस्तिकार ने इसमें नागदा नगर और पाशुपत साधुधों का वर्णन भी किया है। इस प्रशस्ति में जैन और बौद्धों को वाद-विवाद में पराजित करने वाले वेदाङ्ग मुनि का भी उल्लेख मिलता है। अन्त में मन्दिर के निर्माण में सहायक व्यक्तियों यथा श्री मार्तण्ड, लैलुक, श्री सद्योराशि और विनिश्चित राशि का नाम भी दिया गया है। इस प्रकार यह प्रशस्ति मेवाड़ के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है ।[24]

36. हर्षनाथ- अभिलेख

सीकर नगर से 8 मील दक्षिण पूर्व में हर्षगिरि नामक पर्वत स्थित है। जिस पर एक प्राचीन शिव मन्दिर के अवशेष विद्यमान है। इस पवित्र हर्ष-गिरि से काले पत्थर पर उत्कीर्ण लगभग 3 फुट लम्बा तथा 3 फुट चौड़ा शिलालेख (वि.सं. 1030) प्राप्त हुआ है जिसे कीलहार्न, डी. आर. भण्डारक और राजबली पाण्डेय ने प्रकाशित किया। इस शिलालेख की भाषा संस्कृत और लिपि विकसित नागरी है। इसमें 49 श्लोक रामायण (वाल्मीकि) और महाभारत (वेदव्यास) के श्लोकों के समान संस्कृत में हैं । अभिलेख के छन्दों में एक आर्या और कुछ गेय हैं। इसके रचनाकार ने मात्रात्रों तथा चरणों की कठोरता और शुद्धता पर विशेष रूप से ध्यान दिया है । पद्य के अलावा 48 और 49 छन्द के मध्य गद्य भी दिया गया है।

हर्षगिरि अभिलेख का प्रारम्भ शिव की स्तुति से हुआ है। इसके पश्चात् हर्षगिरि, हर्षनगरी और हर्षनाथ का विवरण दिया गया है। तत्पश्चात् चौहान राजाओं की वंशावली तथा उनके द्वारा ग्रामदान का उल्लेख किया गया है । हर्षगिरि अभिलेख में हर्षपर्वत के सौन्दर्य का वर्णन विद्वतापूर्वक प्रस्तुत हुआ है। चौहान वंश के राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से यह अभिलेख अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस अभिलेख में चौहान शासक गूवक से लेकर दुर्लभराज द्वितीय तक की वंशावली अंकित है।

37. हस्तिकुण्डी के धवल का बीजापुर अभिलेख

वि. सं. 1053 के इस अभिलेख पर सर्वप्रथम प्रो. कीलहार्न ने Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. LXII, Part 1, No. 4, पृ. 309-314 में एक लेख लिखा था, लेकिन उनके द्वारा इस लेख को पूरा सम्पादित नहीं किया गया था । यह लेख मूलतः केप्टिन बर्ट के द्वारा बीजापुर (बाली तहसील) से दो मील की दूरी पर स्थित जैन मन्दिर से खोजा गया था और बाद में उसे वहाँ से हटाकर अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित कर दिया गया।

यह लेख दो भागों में विभक्त है तथा इसमें कुल 32 पंक्तियाँ हैं जिन्हें पाषाण खण्ड पर उत्कीर्ण कर दिया गया है। इसमें प्रयुक्त भाषा संस्कृत है तथा नागरी लिपि का प्रयोग किया गया है।

38. चच्चदेव का किणसरिया अभिलेख

चौहान शासक चच्चदेव का प्रस्तुत लेख परबतसर के उत्तर में चार मील को दूरी पर स्थित किणसरिया नामक ग्राम में एक पहाड़ी पर बने कैवायमाता के मन्दिर से प्राप्त हुआ है। इस लेख में कुल 23 पंक्तियाँ और 26 श्लोक हैं जो एक पाषाण खण्ड पर उत्कीर्ण हैं। इस लेख में लिपि उत्तरी वर्णमाला तथा संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है । पंक्ति 22 को छोड़कर सम्पूर्ण लेख पद्यमय हैं, परन्तु वर्ण लेखन सम्बन्धी कुछ त्रुटियाँ इसमें अवश्य पायी जाती हैं। इसमें पक्ति संख्या 1, 22 एवं 23 नष्ट हो गए हैं और कहीं कहीं अक्षर या तो घिस गये हैं या प्रायः लुप्त हो गये हैं।

इस लेख के प्रारम्भ में कात्यायनी, काली आदि देवियों की स्तुति की गई है जो देवी के मन्दिर में लगाये जाने का औचित्य प्रमाणित करता है। इसके अनन्तर इसमें चाहमान वंश की प्रशस्ति देकर वाक्पतिराज, सिंहराज और दुर्लभराज की उपलब्धियों का वर्णन है। प्रशस्ति के दूसरे भाग में दधीचि वंश के मेघनाद, उसकी पत्नी मासटा, वेरीसिंह, दुन्दा (पत्नी) तथा चच्च का उल्लेख है। इसी चच्च के सम्बन्ध में भवानी के मन्दिर बनाने का वर्णन है। इस अभिलेख का समय रविवार, वैशाख सुदि अक्षय तृतीया, संवत् 1056 (ई. सन् 999 की 21 अप्रेल) दिया गया है।

39. उदयपुर के हस्तिमाता मंदिर का शिलालेख

यह शिलालेख अभी उदयपुर संग्रहालय में है। प्रारम्भ में यह आहाड़ के मन्दिर में लगा था लेकिन बाद में जब उदयपुर में हस्तिमाता का मन्दिर बना

तब उसकी सीढ़ी लगाते समय इस शिलालेख का कुछ अंश तोड़ कर लगा दिया गया।

इस लेख में शुचिवर्मा को राजा शक्तिकुमार का पुत्र बतलाया गया है । यह शुचिवर्मा अम्बाप्रसाद का छोटा भाई था। अम्बाप्रसाद की हत्या हो जाने के बाद शुचिवर्मा ही राजगद्दी पर बैठा तथा काफी शक्तिशाली राजा बन गया। उसने मर्यादा पालन तथा अपनी उदार नीति के कारण काफी लोकप्रियता प्राप्त की ।

40. धनोप अभिलेख

शाहपुरा के उत्तर में 16 मील की दूरी पर स्थित धनोप के अभिलेख को सर्वप्रथम डॉ.डी. आर. भण्डारकर ने पढ़ा था। यह अभिलेख 1873 में खोज लिया गया था। बाद में डॉ. डी. आर. भण्डारकर ने इसे मुन्शी देवी प्रसाद की 'राजपूताना में प्राचीन शोध' नामक पत्रिका में हिन्दी में प्रकाशित किया। यह अभिलेख अब मूल रूप से उपलब्ध नहीं है। इस अभिलेख की छाप टोंक के पंडित रामकरण ने तैयार की थी । यह अभिलेख राष्ट्रकूट वंश से सम्बन्धित है। इस अभिलेख में 13 पंक्तियाँ हैं । अभिलेख की लिपि उत्तर भारतीय (10-11वीं शती) और भाषा संस्कृत गद्य में (प्रारम्भ और अन्त के अलावा) है। यह अभिलेख ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इससे राजस्थान में राष्ट्रकूटों की द्वितीय शाखा की जानकारी मिलती है। राष्ट्रकूटों की प्रथम शाखा की जानकारी हथूंडी अभिलेख से मिलती है।[25]

41. पोकरण-अभिलेख

पोकरण, जिला जैसलमेर में स्थित है। यहां के बालकनाथ मन्दिर में स्तम्भों पर दो अभिलेख (वि सं 1070) के उत्कीर्ण हैं। प्रथम अभिलेख परमार वंशीय घिंघक की मृत्यु से सम्बन्धित है जो कि स्थानीय शासक था ।[26]

यह अभिलेख गुहिल वंशी शासकों का है। मारवाड़ में गुहिल वंश के शासकों के अब तक कई अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। पोकरण अभिलेख में उल्लिखित गुहिल शासन का मण्डोर के आसपास कहीं शासन रहा होगा । अभिलेख में गुहिल शासक के किसी शत्रु से लड़कर मरने का उल्लेख है ।संभवतः गुहिल शासक का यह शत्रु मोहम्मद गजनी या उसके सैनिक होंगे । गजनी सेनाएँ जब सोमनाथ पर आक्रमण करने जा रही थीं तब उसने लोद्रवा मार्ग से यात्रा की थी जो पोकरण से अधिक दूर नहीं था।[27]

42. बसन्तगढ़ लाणबावडी - प्रशस्ति

बसन्तगढ़ अजारी (पिण्डवाड़ा तहसील जिला - सिरोही)' से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहां की लाहिनी बावड़ी (लाण वापी) से एक प्रशस्ति प्राप्त हुई है। यह प्रशस्ति परमार राजा पूर्णपाल के समय की है। विक्रम संवत् 1099 की इस प्रशस्ति में परमार राजा उत्पलराज से पूर्णपाल तक आबू के परमारों की वंशावली दी गई है। इस प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि पूर्णपाल की छोटी बहिन लाहिनी का विवाह विग्रहराज से हुआ था। विधवा होने पर वह अपने भाई के पास वटपुर (वशिष्ठपुर) आ गई। उसने वहां टूटे हुए मन्दिरों का जीर्णोद्धार करवाया और एक बावड़ी बनवाई। इस अभिलेख में बटपुर नामक नगर के निर्माण का वर्णन दिया गया है । तत्कालीन नगर स्थापत्य के विवरण से संकेतित है कि वटपुर में तालाब, भवन, राजप्रासाद, प्राकार एवं दुर्ग थे। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य निवास करते थे। नगर में गणिकाओं और सैनिकों की भी बस्ती थी।

43. परमार राजा पूर्णपाल का भडूंद अभिलेख : परमार राजा पूर्णपाल का प्रस्तुत लेख पाली जिले के भडूंद ग्राम में स्थित एक प्राचीन बावली में उत्कीर्ण है। इस लेख से ज्ञात होता है कि वि. सं. 1102 में महाराजाधिराज पूर्णपाल के शासनकाल में भडूंद (भुंद्रिपद्द) ग्राम में एक सोपान युक्त कूप बनवाया गया था और इस ग्राम के अनेक ब्राह्मणों

ने उसकी नींव बनवाने का खर्च उठाया था। महाराजाधिराज उपाधि धारण करने से ज्ञात होता है कि परमार राजा पूर्णपाल स्वतन्त्र रूप से अपने प्रदेश पर शासन कर रहा था ।

44. झालरापाटन अभिलेख

झालरापाटन' झालावाड़ (राजस्थान) के निकट चन्द्रभागा नदी के तट पर स्थित है। झालरापाटन का अभिलेख (वि. सं. 1143 वैशाख सुदि 10 ई. सन् 1086 की 26 अप्रैल) सर्वसुखिया कोठी में सुरक्षित है। अभिलेख देवनागरी लिपि और संस्कृत भाषा में है। यह अभिलेख परमार भोज के परिवार के उदयादित्य से सम्बन्धित होने के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है ।[28]

45. जूनाबेड़ा मूर्तिलेख

पाली जिला में स्थित बेड़ा नामक स्थान (बाली से करीब 20 किलो मीटर) ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। प्राचीन काल में ही यहां सूर्य, विष्णु और महावीर की उपासना होती रही है। बेड़ा से करीब तीन किलोमीटर की दूरी पर जूनाबेड़ा स्थित है। यहां से भी पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हुई है। जूनाबेड़ा से प्राप्त महावीर की मूर्ति पर वि. सं. 1144 का लेख उत्कीर्ण है। यह लेख देवनागरी लिपि और संस्कृत भाषा में है। मूल लेख में कुल तीन पंक्तियां हैं। जिनसे हमें महावीर प्रतिमा की स्थापना और प्रद्योतन सूरि के गच्छ के सम्बन्ध में जानकारी मिलती है। राजस्थान में जैनधर्म के अध्ययन हेतु इस मूर्तिलेख का विशेष महत्व है ।

46. जोजलदेव का सादड़ी अभिलेख :जोजलदेव का यह वि.सं.1147 का अभिलेख पाली जिला के सबसे बड़े कस्बा सादड़ी स्थित जागेश्वर मन्दिर के एक स्तम्भ पर उत्कीर्ण है। ऐसी मान्यता प्रचलित है कि जागेश्वर मन्दिर की भवन निर्माण सामग्री किसी अन्य स्थान से यहाँ पर लाई गयी थी। अतः ऐसी सम्भावना है कि उपर्युक्त लेख, जिस स्तम्भ पर उत्कीर्ण है, सादड़ी से पूर्व किसी अन्य स्थान पर था। लेकिन इस लेख में किसी अन्य स्थान विशेष के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि सादड़ी से पूर्व यह लेख कहां पर स्थित था। इस लेख में कुल 11 पंक्तियां हैं । सम्पूर्ण लेख ठीक अवस्था में है, लेकिन 9 वीं तथा 10 वीं पंक्ति के प्रारम्भिक अक्षर खण्डित होने के कारण अपठनीय है। लेख संस्कृत भाषा में है तथा सर्वत्र नागरी लिपि का प्रयोग किया गया है।

जोजलदेव का वि.सं.1147 का एक अन्य लेख मिला है जो नाडोल स्थित सोमेश्वर मन्दिर के एक स्तम्भ पर उत्कीर्ण है। इस लेख में अक्षरों की खुदाई यद्यपि कम हुई है, लेकिन सभी अक्षर सरलता से पढे जा सकते हैं। इस लेख में कुल 13 पंक्तियां हैं । यह लेख किसी भी स्थान पर से खण्डित नहीं है। इसमें संस्कृत भाषा तथा नागरी लिपि का प्रयोग किया गया है। दोनों ही लेख सर्वधर्म समभाव की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।

47. अश्वराज का सेवाडी अभिलेख

वि. सं. 1167 का यह लेख बाली से पाँच मील दक्षिण-पूर्व में स्थित गोड़वाड़ प्रदेश के प्रमुख कस्बा सेवाड़ी स्थित महावीर स्वामी के जैन मन्दिर में पाया गया है। इस लेख में कुल तीन पंक्तियाँ हैं । लेख के सभी अक्षर ठीक अवस्था में है तथा सरलता से पढे जा सकते हैं । लेख की भाषा संस्कृत है तथा नागरी लिपि का प्रयोग किया गया है।

48. कटुकराज का सेवाड़ी अभिलेख :वि. सं. 1172 का कटुकराज का प्रस्तुत लेख सेवाड़ी स्थित महावीर स्वामी के जैन मन्दिर से प्राप्त हुआ है। इस लेख के अक्षर खराब होने के कारण उसे पढ़ना कठिन था, लेकिन डॉ. भण्डारकर ने सर्वप्रथम इसका चित्र लेकर इसको पढ़ लिया। यहाँ पर डॉ. भण्डारकर द्वारा प्रस्तुत प्रतिलिपि को ही आधार बनाकर यहाँ

अध्ययन किया जा रहा है। इस लेख में कुल 8 पंक्तियाँ हैं। मंगलसूचक तथा समयसूचक पंक्तियों को छोड़कर सम्पूर्ण लेख संस्कृत पद्य में है जिनकी संख्या 15 है। इसमें नागरी लिपि का प्रयोग किया गया है।

49. जालोर तोपखाना का लेख

यह शिलालेख जालोर के तोपखाना की उत्तरी दीवार में लगा था। इससे पहले यह किसी मन्दिर में लगा हुआ था जहाँ से लाकर यहाँ लगाया गया। अब यह शिलालेख जोधपुर संग्रहालय में है। इसमें 13 पंक्तियाँ है तथा संस्कृत में लिखा है और लिपि नागरी है। इस लेख में जालोर शाखा के परमारों का विवरण मिलता है। इस शाखा का प्रवर्तक वाक्पतिराज था। यह लेख वि. सं. 1174 की आषाढ़ शुक्ला पंचमी (ई. सन् 1117 की 6 जून) का है।

50. गिरवर का पाटनारायण मन्दिर अभिलेख

गिरवर ग्राम (पूर्व सिरोही राज्य के) मधुसूदन से पश्चिम दिशा में चार मील दूर स्थित है । वहाँ पाटनारायण (विष्णु) मन्दिर से यह अभिलेख मिला था। पं. गौरीशंकर हीराचन्द ओझा एवं डॉ. देवदत्त रामकृष्ण भण्डारकर को इस अभिलेख की जानकारी प्राप्त थी। डॉ. दशरथ शर्मा को इस शिलालेख की छाप श्री नाथूराम खड़गावत से प्राप्त हुई थी। डॉ. दशरथ शर्मा ने इसको प्रकाशित किया। अभिलेख के प्रारम्भ में 7 श्लोक संस्कृत पद्य एवं शेष गद्य में हैं।[29]

51. रायपाल का नाडलाई लेख

वि. सं. 1189 का रायपाल का उपर्युक्त लेख देसूरी से चार मील उत्तर-पश्चिम में स्थित गोडवाड़ के प्रमुख कस्बा नाडलाई के आदिनाथ के जैन मन्दिर के सभा- मण्डप के दो स्तम्भों पर उत्कीर्ण है। इस लेख में कुल छह पंक्तियाँ हैं। इस लेख का पत्थर काफी खुरदरा है, जिससे ज्ञात होता है कि इस लेख को उत्कीर्ण करने के पूर्व पत्थर को समतल नहीं किया गया था। इसी कारण लेख की खुदाई भद्दी प्रतीत होती है। लेख की रचना संस्कृत गद्य में की गई है तथा सर्वत्र नागरी लिपि का प्रयोग किया गया है। लेख के अन्त में एक छन्द लिखा हुआ है।

52. रायपाल का नाडलाई पाषाण अभिलेख

वि. सं. 1195 का रायपाल का यह लेख नाडलाई ग्राम के दक्षिण-पूर्व में एक पहाड़ी पर स्थित नेमिनाथजी के मन्दिर, जिसे स्थानीय लोग जादवजी कहते हैं, से प्राप्त हुआ है। यह लेख मन्दिर के एक स्तम्भ पर उत्कीर्ण । इस लेख में कुल 26 पंक्तियाँ तथा संस्कृत गद्य एवं नागरी लिपि का प्रयोग किया गया है। लेख का समय आश्विन कृष्णा 15, मंगलवार, संवत् 1195 है। यह लेख चौहान शासक रायपाल के शासनकाल का है। इसी समय का रायपालदेव का नाडोल से एक अन्य प्रस्तर अभिलेख भी प्राप्त हुआ है।

महाराज रायपालदेव का प्रस्तुत लेख गोड़वाड़ क्षेत्र में देसूरी से 10 मीत उत्तर-पश्चिम में स्थित नाडोल ग्राम में विद्यमान सोमेश्वर के मन्दिर से प्राप्त हुआ है। यह लेख मन्दिर के एक स्तम्भ पर उत्कीर्ण है। इसमें कुल 39 पंक्तियाँ हैं। यद्यपि यह लेख काफी घिस गया है लेकिन ध्यान पूर्वक पढ़ने से सरलता से पढ़ा जा सकता है। इस सम्पूर्ण लेख की रचना संस्कृत गद्य में हुई है तथा नागरी लिपि का प्रयोग किया गया है। लेख में कुछ स्थानों पर व्याकरण सम्बन्धी अशुद्धियां भी है तथा वाड, वाडी, पाडि, पेटी अवसर आदि स्थानीय शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। लेख में स्थानीय कहावतों का प्रयोग भी किया गया है। रायपाल देव का वि.सं 1200 का एक प्रस्तर लेख आदिनाथ मंदिर से मिला है जिसकी भाषा संस्कृत गद्य है तथा नागरी लिपि का प्रयोग किया गया है।

53. अश्वक का बाली पाषाण अभिलेख

अश्वक का बाली पाषाण अभिलेख बोलामाता (बहुगुणा माता) के मन्दिर के अन्दर सभामण्डप में

एक स्तम्भ पर उत्कीर्ण है। इस लेख में कुल छह पंक्तियाँ है एक पाषाण खण्ड पर उत्कीर्ण हैं। यह लेख नागरी लिपि में है और इसमें संस्कृत भाषा प्रयुक्त की गई है। केवल एक पद्य को छोड़ कर इसमें गद्य का प्रयोग किया गया है। इस लेख की चौथी एवं पांचवीं पंक्ति में 'यस्य यस्य भूमि तस्य तस्य तदा फलं । यस्तु एवं लोपयंति तस्य ब्रह्महत्यादयः ॥' नामक छन्द आया है। प्रथम पंक्ति के अधिकांश अक्षर नष्ट हो जाने के कारण अपठनीय हैं। पांचवीं पंक्ति में भी कुछ अक्षर मिट गये हैं । शेष लेख को सरलता से पढ़ा जा सकता है। यह लेख महाराजाधिराज जयसिंह देव के काल का है और इसमें लेख का समय वि. सं. 1200 दिया गया है। इसका लेखक कुलचन्द्र था। इस लेख से उस समय लिये जाने वाले कर पर प्रकाश पड़ता है।

54.चालुक्य जयसिंह कालीन सांभर अभिलेख

सांभर, जयपुर जिले के फुलेरा जंक्शन से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सांभर पौराणिक तीर्थ देवयानी और नमक की झील हेतु प्रसिद्ध रहा है। सांभर नगर की स्थापना सातवीं शती ई. में शाकम्भरी (देवी) के मन्दिर के निकट चौहान वासुदेव ने की थी। तभी से यह नगर चौहानों की शक्ति का महत्वपूर्ण केन्द्र रहा है। विवेच्य अभिलेख सांभर के उमर शाह के कुए की दीवार पर लगा हुआ था. जिसे बाद में वहां से हटवा कर श्री विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने 1926 ई. में सरदार संग्रहालय जोधपुर में रखवा दिया। अभिलेख में कुल 28 श्लोकबद्ध पंक्तियां है जिनमें से 14 पंक्तियां प्रथम पत्थर पर तथा दूसरे पत्थर पर 14 पंक्तियां उत्कीर्ण हैं। इस अभिलेख की भाषा संस्कृत और 12 वीं सदी (वि. सं.) की उत्तर भारतीय लिपि है। सम्भवतः यह अभिलेख चालुक्य जयसिंह के राज्यकाल में (वि. सं. 1200) में कभी उत्कीर्ण किया गया था। यह अभिलेख इसलिये महत्वपूर्ण है कि इसमें सोलंकी मूलराज के अन्हिलवाड़ पर राज्य स्थापना की तिथि दी गई है।

55. गोठ मांगलोद में दधिमाता मंदिर का शिलालेख

नागौर जिले की जायल तहसील के गोठ - मांगलोद नामक गांवों की सीमा पर नागौर नगर के उत्तर पूर्व में 40 किलोमीटर की दूरी पर दधिमाता का मंदिर स्थित है। यह मंदिर प्रतिहार स्थापत्य के अनुसार बना है।

इस मंदिर में संस्कृत भाषा का एक शिलालेख मिला है, जिसे वहां से हटाकर जोधपुर के राजकीय इतिहास विभाग में प्रदर्शित किया गया। डी. आर. भण्डारकर ने इस शिलालेख को सन् 1906 में प्रदर्शित हुआ देखा था। सन् 1894 में मुंशी देवीप्रसाद ने इस लेख का पाठ अपनी पुस्तक में दिया था । [30] सन् 1912 में रामकरण आसोपा ने इसको सम्पादित कर प्रकाशित किया। फिर यह शिलालेख गायब हो गया। वह कहां, किसके पास है, किसी को पता नहीं है, पर अटकलें अवश्य लगाई जा रही हैं ।

इस लेख से ज्ञात होता है कि इस मन्दिर के निर्माण हेतु कई दहया (दाहिमा) ब्राह्मण परिवारों ने चांदी की द्रम्म मुद्राएं दी। पंक्ति 3 से 10 में दानदाता ब्राह्मणों के गोत्र दिये गये है। पंक्ति 11 व 12 का पद मार्कण्डेय पुराण के देवी माहात्म्य से लिया गया है। यह लेख गुप्त संवत् 289 की श्रावण वद 13 का है।

राजस्थान की गौरवमय संस्कृति के प्रतीक संस्कृत अभिलेखों की एक लम्बी श्रृंखला प्राप्त है । उनमें से यहाँ मुख्य अभिलेखों का परिचय प्रस्तुत करने का मेरा प्रयास रहा है ।

निष्कर्ष

अभिलेखों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि कि जो अभिलेख पत्थरों पर उत्कीर्ण किए गए वे अधिकांश ब्राह्मी लिपि व संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। इन अभिलेखों के माध्यम से उस समय में की जाने

वाली धार्मिक क्रियाओं, विश्वासों का परिचय मिलता है ।कुछ लेख वैदिक व वैष्णव धर्म के समन्वय व राजस्थान के धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं। कतिपय शिलालेखों से सामन्तों व राजाओं के मधुर संबंध तथा राजाओं द्वारा प्रचलित करों व ब्राह्मणों के वेद तथा शास्त्रों के ज्ञाता होने की जानकारी मिलती है। बयाना भरतपुर से चित्रलेखा का शिलालेख से स्थानीय रानी द्वारा विष्णु मंदिर में दान देने का वर्णन है, इसी प्रकार शत्रुओं का दबाव बढ़ जाने पर परमार राजा द्वारा शरण लेने पर नगर का नाम ओसियां पड़ना ओसिया के अभिलेख से ज्ञात होता है। कुछ अभिलेखों में संस्कृत भाषा गद्य में तथा कहीं पद्य में छंदबद्ध लिखी हुई है।इस प्रकार संस्कृत अभिलेख की एक लंबी श्रृंखला प्राप्त है जिनमें से कुछ अभिलेखों का परिचय करने का मेरा प्रयास रहा है।

संदर्भ

1. लाल, बी.बी, इंडियन आर्कियोलॉजी सिंस इंडिपेंडेंस, पृष्ठ 18.
2. पांडे, राजबली, भारतीय पुरालिपि, पृष्ठ 167.
3. भट्ट, जनार्दन, अशोक के धर्म लेख, पृष्ठ 108 एवं 113.
4. भंडारकर, डी. आर., हाथी बाड़ा ब्राह्मी इन्स्क्रिप्शन एट नगरी, एपीग्रैफिया इंडिका वॉल्यूम 22 पृष्ठ 198 - 205.
5. पुरोहित, सोहनकृष्ण : उत्तरभारत का प्राचीन राजनीतिक इतिहास, पृ.111.
6. फ्लीट, जे. एफ. भारतीय अभिलेख संग्रह, खण्ड 3, पृ 317.
7. गहलोत बन्धु, कल्चरल हेरीटेज ऑव हाड़ौती, पृ. 24
8. नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग 1 (सं 1977) पृ.311-324, इ . आई . भाग 20 नं. 9 पृष्ठ97-99.
9. कर्नल टॉड,'एनाल्स एण्ड एण्टीक्विटीज ऑफ राज- स्थान, पृ.625-626.
10. ओझा, गौरीशंकर हीराचन्द, भारतीय प्राचीन लिपि माला, पृ . 63.
11. पाण्डेय,राजबली, हिस्टोरिकल एंड लिट्रेरी इंस्क्रिप्शंस, पृ.158-161.
12. देवीप्रसाद मुन्शी, मारवाड़ के प्राचीन लेख, पृ. 4-5; जोधपुर 1894.
13. शर्मा, गोपीनाथ, राजस्थान के इतिहास के स्रोत, पृ. 57 एवं ए बिब्लिओग्राफी ऑफ मेडीवल राजस्थान, पृ. 3.
14. ओझा, गौरीशंकर हीराचंद, जोधपुर राज्य का इतिहास, प्रथम खण्ड, पृ. 27; ओझा, गौरीशंकर हीराचन्द, भारतीय प्राचीन लिपिमाला, पृ.63; व्यास, श्याम प्रसाद राजस्थान के अभिलेखों का सांस्कृतिक अध्ययन, पृ. 4
15. देवीप्रसाद, मुंशी, वही । एपिग्रैफिया इण्डिका,. वाल्यूम 4, पृ. 280.
16. वी. वी. मिराशी, कामां स्टोन इंश्क्रिप्शन, एपिग्रैफिया इंडिका वाल्यूम 24 पृष्ठ 329 - 333
17. इण्डियन एंटीक्वेरी, वाल्यूम 10 पृ. 34
18. एपिग्रैफिया इण्डिका, वाल्यूम 26, पृ. 90-100
19. ओझा, गौरीशंकर हीराचन्द, राजपूताने का इतिहास, भाग 1, पृ. 425; अजमेर म्यूजियम की वार्षिक रिपोर्ट, 1913-14 ई. पृ. 2.
20. श्री रतनचन्द्र अग्रवाल का शोध निबन्ध : महाराजा भर्तृपट्ट द्वितीय का अप्रकाशित लेख : शोध पत्रिका, भाग 8, अंक 1-2 पृ.55-57
21. एपिग्रैफिया इण्डिका, वॉल्यूम -14, पृ. 182-188, शर्मा, गोपीनाथ, राजस्थान के इतिहास के स्रोत, पृ. 60-61.
22. शर्मा, गोपीनाथ, राजस्थान के इतिहास के स्रोत, पृ.61-63.
23. जैन, के. सी. एन्श्येण्ट सिटीज एण्ड टाउन्स आव राजस्थान पृ. 180.
24. सरदार म्यूजियम, जोधपुर की वार्षिक रिपोर्ट, मार्च 1941, पृ.5
25. वरदा खण्ड 7 अंक 4 वरदा खण्ड 8 अंक 2

26. श्यामलदास, वीर विनोद, भाग 1, पृ. 381-383; ओझा, गौरीशंकर हीराचन्द, उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग 1, पृ. 125-126:
27. आई ए, 1911, पृ.175.
28. शोध पत्रिका, वर्ष 22, अंक 2, पृ. 67
29. वही पृ. 69.
30. दृष्टव्य, रेऊ विश्वेश्वर नाथ; ग्लोरीज ऑव मारवाड़ एण्ड दि ग्लोरियस राठौड़स,पृ. 223
31. मरु भारती, वर्ष 9, अंक 4 पृ.63-67; ओझा, गौरी शंकर हीराचन्द, सिरोही का इतिहास, पृ. 44-45.
32. मुंशी, देवीप्रसाद,मारवाड़ के प्राचीन लेख (1894), पृ. 7.